

## — विविध आदेश —

कोरबा जिला स्थापना में आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के एन0डी0पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जप्तशुदा सामाग्री की नमूना लिये जाने एवं इच्चेट्री तैयार किये जाने के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा—

क्र0	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्रों के नाम
01.	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	बालको, आबकारी वृत्त दक्षिण
02.	कु. डॉली ध्रुव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, आबकारी वृत्त आंतरिक
03.	कु. कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा (छ0ग0)	उरगा, यातायात, लेमरु, आबकारी वृत्त शहरी
04.	कु. मयुरा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	कटघोरा, पसान
05.	कु0 रंजू वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	दर्दी, आबकारी वृत्त कटघोरा, आबकारी वृत्त दर्दी—गेवरा
06.	श्री लोकेश पाटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	बांकीमोंगरा, दीपका, आबकारी वृत्त बांकीमोंगरा एवं दीपका
07.	श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा (छ0ग0)	बांगो, कुसमुंडा, पाली, हरदीबाजार

**टीप :-** न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश की दशा में दांडिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29 / 03 / 2025 के तालिका क्रमांक 01 में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित प्रथम / द्वितीय / तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि दांडिक कार्य विभाजन आदेश में उन्हें आर्बंटित थाना न हो और यदि ऐसा होता है तो उनके अगले क्रम के प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

सही /—

(शीलू सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
कोरबा (छ0ग0)